

हाईकोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन पेश : रादुवि में कृषि पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने का विरोध

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत कर सरकार पर कृषि विश्वविद्यालयों के वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त कर कृषि शिक्षण के उनके विशेषाधिकार को समाप्त करने का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि सरकार कृषि शिक्षण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सुपरवीजन के अधिकार को भी समाप्त करना चाहती है। क्योंकि सरकार गैर कृषि शिक्षण संस्थाओं को कृषि पाठ्यक्रम पढ़ाने हेतु स्वतंत्र करना चाहती है। लिहाजा, हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे। यह आवेदन याचिकाकर्ता डा. पीजी नाजपांडे ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया है। उनकी ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा पक्ष रखेंगे। उन्होंने अवगत कराया कि इस सिलसिले में आवेदक ने स्वयं कृषि सचिव से मुलाकात कर आशंका जताई थी कि सरकार की मंशा के अनुरूप कृषि विश्वविद्यालय के अधिनियम को समाप्त करने से बहुत ही विपरीत परिणाम होगा। इसके बावजूद कृषि सचिव ने कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया। डा. नाजपांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निजी संस्थाओं व गैर कृषि विश्वविद्यालय में खेती की भूमि, लैंड,



स्टाफ आदि न होते हुए भी कृषि पाठ्यक्रम पढ़ाने को जारी करने के विरुद्ध याचिका दायर की है। इस याचिका में रानी दुर्गावती युनिवर्सिटी में कृषि पाठ्यक्रम पढ़ाने का विरोध किया गया है।

संयुक्त रूप से जुने जाएंगे मामले

अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि जबलपुर व इंदौर में दायर याचिकाओं की अब जबलपुर में ही एक साथ सुनवाई की जाएगी। निजी संस्था व गैर कृषि विश्वविद्यालय में हो रही कृषि पाठ्यक्रमों को पढ़ाई के संबंध में इन दोनों याचिकाओं के कारण राज्य स्तरीय परिणाम होगा।

कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि शिक्षण के विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहती है सरकार

2003 में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का दो लाभ

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि भर्ती वर्ष 2003 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ प्रदान

हाईकोर्ट का निर्देश

करें। जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच ने 90 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती वर्ष 2003 की थी। इसी आधार पर कुछ लोगों को ओपीएस का लाभ दिया गया था। नियुक्ति आदेश भले ही एक जनवरी 2005 को जारी किया गया होगा, लेकिन याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन योजना के हकदार होंगे क्योंकि भर्ती वर्ष 2003 से संबंधित है। जबलपुर निवासी डॉ. रूपेंद्र कुमार गौतम सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में मप्र लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा उत्तीर्ण कर अर्हता हासिल की, लेकिन उन्हें एक जनवरी 2005 के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए गए। दलील दी गई कि चूंकि चयन प्रक्रिया का विज्ञापन 2003 में जारी हुआ है, इसलिए आवेदक का पेंशन प्रकरण उसी वर्ष में प्रचलित नियम के अधीन आता है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अधीन रखा गया है, जबकि 2005 में नियुक्त कुछ उम्मीदवारों को ओपीएस का लाभ दिया गया है।



संत अलायसियस कालेज में युवा संसद का किया मंचन

जबलपुर।

संत अलायसियस महाविद्यालय जबलपुर के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से 05 फरवरी 2026 को युवा संसद का मंचन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण एवं समाज विज्ञान संकाय प्रो. विवेक मिश्र रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. फा. जे. बेन एंटोन रोज ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता में जागरूक युवाओं की भूमिका

अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान के प्रति जनजागरूकता हेतु प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अर्चिता मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उप प्राचार्य डॉ. कल्लोल दास सहित महाविद्यालय के प्राध्यापकगण उपस्थित रहे। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

नागरिकों को गंदगी से मिलेगी मुक्ति

जबलपुर। नगर निगम के सतत प्रयासों से वर्षों बाद शहर के ऐतिहासिक 5.5 हेक्टेयर अर्थात् 13 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित 'सूरजताल' तालाब के कार्यालय तेज गति से किया जा रहा है। इस तालाब को संवारने के लिए निगमायुक्त आर पी अहिरवार ने 28 दिनों से 1 बड़ी हिटाची, 4 मिनी हिटाची, 1 नाव, 1 डोंगी और पर्याप्त संख्या में सफाई मित्रों को लगाकर तालाब की सूरत बदलाने और पुरानी विरासत को संरक्षित कर नई पीढ़ी को देने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तालाब में 1 लाख 50 हजार क्यूबिक पानी संग्रहण करने की क्षमता है। यह तालाब शहर के नागरिकों के लिए बरदान साबित होगा। उन्होंने बताया कि अब सुबह की पहली किरण के साथ सूर्य भगवान का प्रतिबिंब और जल का संगम एक बेहद मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करने लगें। इस प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने और तालाब को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने के लिए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के द्वारा जमीनी स्तर पर प्रयास प्रारंभ कर दिये गए हैं। निगमायुक्त श्री अहिरवार ने तालाब क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सूझा निर्देश दिए कि तालाब की भूमि का तत्काल सीमांकन किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि तालाब के जलसंग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसीलदार और पटवारी की टीम के साथ तालमेल बैठोकर अवैध निर्माणों को विह्वल कर हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।



शिवांश गुप्ता मामले में परिजनों ने एसपी से की मुलाकात, हत्या की जताई आशंका

जबलपुर। 05 जून 2025 को शिवांश गुप्ता की संदिग्ध मृत्यु के मामले में उनके पिता संतोष गुप्ता एवं पत्नी ने मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के माध्यम से एंडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा से मुलाकात की। परिजनों ने शिवांश की

मौत को आत्महत्या मानने से इंकार करते हुए इसे हत्या बताया है। प्रथम श्रेणी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 318 सदस्यों वाले इस प्रतिष्ठित संघ में विभिन्न पदों के लिए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मतदान 14 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस बार संघ में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, मानसेवा सचिव, सह सचिव एवं कोषाध्यक्ष सहित छह पदों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया का शुभारंभ चुनाव अधिकारी रवि गुप्ता, सहायक चुनाव अधिकारी संजीव जैन और अनुग्रह जैन द्वारा नामांकन शुल्क प्राप्त कर आवेदन पत्र वितरित करने के साथ किया गया। निर्धारित तिथि तक विभिन्न पदों के लिए सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच गुरुवार 5 फरवरी 2026 को संघ

जांच का आश्वासन देते हुए दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की बात कही। इस अवसर पर संगठन के डॉ. अजय वाधवानी, एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, डॉ. अभिषेक जैन एवं एडवोकेट भावना निगम उपस्थित रहे।

टेंट संचालक को लापरवाही पर कारावास

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शुभांगी पालो की अदालत ने लापरवाही बरतने वाले टेंट संचालक उत्तम सिंह महाबिया का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ छह माह के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभय मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने 21 जून, 2014 को विवाह समारोह में टेंट लगाया था। लोहे के पाइप पर बिजली के तार लापरवाही से लगाए गए थे। इस वजह से सौरभ वंशकार को करंट लग गया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसकी शिकायत पर बरेला पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। जिसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

सड़कों में मोड़ और पुल-पुलियों व गौवंश के गले पर रिफ्लेक्टर लगाए: कलेक्टर

जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ब्रिज और एमपीआरडीसी के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों के दौरान आने वाली बाधाओं और उनके निदान पर चर्चा की। कलेक्टर ने सभी निर्माण विभागों से कहा कि वे अपने लक्ष्य अनुरूप कार्य कर प्रगति लाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि रात में विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए सड़कों में मोड़ और पुल-पुलियों पर रिफ्लेक्टर और आवश्यक साइनेज लगाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों में पाए जाने वाले गौवंश के गले में रिफ्लेक्टर पड़ा लगाएं और उन्हें गोशालाओं में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि किसी गौवंश का सड़क में दुर्घटना न हो। इसके अलावा कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा कि वे सर्किट हाउस और रैस्ट हाउस में आवश्यक रिपेयरिंग भी कराएं। बैठक के दौरान निर्माण विभागों ने अपने-अपने कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी

दी। कलेक्टर ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा।

शासन का पक्ष मजबूती से रखने के दिव्य निर्देश

कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह ने न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से शासन का पक्ष मजबूती के साथ रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। श्री सिंह गुरुवार को आयोजित बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा लिया। न्यायालयीन प्रकरणों के प्रति अधिकारियों को गंभीरता बरतने की हिदायत दी तथा तय समय सीमा के भीतर जवाबदाबा प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। श्री सिंह ने अवमानना के प्रकरणों में विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुये इनमें न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का तत्परता से पालन किया जाये तथा समय पर कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

रजिस्ट्री वाले मकान में अवैध कब्जे पर एफआइआर का आदेश

जबलपुर।

जिला अदालत ने 30 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री वाले मकान में अवैध कब्जे पर एफआइआर का आदेश पारित किया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीपी सूत्रकार की कोर्ट ने बरगी पुलिस को निर्देश दिया है कि तीन दिन में एफआइआर दर्ज कर उसकी प्रति अदालत में प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली

सुनवाई नौ फरवरी को होगी। आवेदक जबलपुर निवासी प्रकाश कुमार रिझवानी की ओर से दलील दी गई कि आवेदक की मां उमा देवी ने ग्राम तिनसी, बरगी की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। इसके बाद सीमांकन कराया। साथ ही चार कमरों का खपरैल वाला मकान बनाया। बिजली मीटर उमा देवी के नाम दर्ज है। संपत्ति की देखरेख के लिए

चौकीदार अन्नी लाल को रखा। कुछ समय बाद पता चला कि उस मकान पर अश्वनी सोनकर ने कब्जा कर लिया है। उसने चौकीदार अन्नीलाल को रात में डरा-धमका कर गांव भेज दिया। जब इस बात को लेकर आवेदक ने विरोध किया तो कब्जेधारी ने अभद्रता कर भगा दिया। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसीलिए अदालत आना पड़ा।

3 जुए के फड़ों पर छापा 22 जुआड़ी गिरफ्तार

जबलपुर। घमापुर, पनागर और बरगी थाना क्षेत्रों में चल रहे जुए के फड़ों पर छापा मारकर पुलिस ने 22 जुआड़ियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 हजार 165 रुपए जब्त किए हैं।

घमापुर पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात मुखबिर की सूचना पर न्यू कछियाणा पराग मैदान में बल्क की रोशनी में जुआ मन्ना खेल रहे विवेक रैकवार, तन्नु उर्फ प्रदीप नहार, अभिषेक ठाकुर, मनीष ठाकुर साहिल लालपुरहा, करन चौधरी, दिनेश उर्फ देवेन्द्र, अदिति समुद्रे, राहुल रैकवार, मनोज यादव, अंश बहेलिया, वरुण प्रजापति और दिनेश समुद्रे को गिरफ्तार कर उनके पास से फड़ के नगद 2 हजार 500 रुपए जप्त किए। इसी प्रकार पनागर पुलिस ने बरोदा तालाब के पास दबिश देते हुए आकाश पटेल एवं अन्य 3 जुआड़ियों को जुआ खेलते हुये रंगे हाथ पकड़ा जिनके पास से नगद 1 हजार 575 रुपए रूपये तथा ताश के 52 पत्ते जप्त किए गए। इसी तरह बरगी पुलिस ने ग्राम जोगीधाना खेरमाई मंदिर के पास दबिश देते हुये महेन्द्र उर्फ ओमकार साहू एवं अन्य 4 जुआड़ियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नगद 710 रूपये तथा ताश के 52पत्ते जप्त किए। पुलिस ने सभी जुआड़ियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू

जबलपुर। जबलपुर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ के द्विवार्षिक चुनाव (2026-28) की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 318 सदस्यों वाले इस प्रतिष्ठित संघ में विभिन्न पदों के लिए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मतदान 14 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस बार संघ में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, मानसेवा सचिव, सह सचिव एवं कोषाध्यक्ष सहित छह पदों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया का शुभारंभ चुनाव अधिकारी रवि गुप्ता, सहायक चुनाव अधिकारी संजीव जैन और अनुग्रह जैन द्वारा नामांकन शुल्क प्राप्त कर आवेदन पत्र वितरित करने के साथ किया गया। निर्धारित तिथि तक विभिन्न पदों के लिए सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच गुरुवार 5 फरवरी 2026 को संघ

नामांकन जारी, मतदान 14 फरवरी को

भवन स्थित चुनाव कार्यालय में की गई। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाएंगे, जिससे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व मजबूत हो सके। गौरतलब है कि नगर एवं महाकोशल क्षेत्र में गल्ला, दलहन और तिलहन व्यापार से जुड़ी यह संस्था वर्ष 1947 से निरंतर सक्रिय है और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती आ रही है। संघ का व्यापारिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण चुनाव को लेकर सदस्यों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। संघ के पूर्व अध्यक्षों में स्व. सेठ नरसिंह दास, स्व. ठाकुर पृथ्वी सिंह (पूर्व विधायक), स्व. हीरालाल गुप्ता तथा डॉ. गोविंद मिश्रा जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल रहे हैं, जो विटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी रह चुके हैं।

2.5 करोड़ राशि की लागत से गुर्दों में मल्ल और व्यवस्थित मछली मार्केट बनकर है तैयार

जबलपुर। शहर के मछली कारोबारियों को बहुत शीघ्र नगर निगम द्वारा एक व्यवस्थित मार्केट की सौगात दी जायेगी। इस संबंध में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने मत्स्योद्योग विभाग के सहायक संचालक राजाराज तिलक धुवें, अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह ठाकुर, कार्यपालन यंत्र शैलेन्द्र मिश्रा, बाजार अधीक्षक राजेन्द्र दुबे, संभागीय अधिकारी मयंक चौरसिया आदि के साथ बैठक कर निर्णय लिया और बताया कि नगर निगम जबलपुर द्वारा गुर्दों क्षेत्र में एक आधुनिक और व्यवस्थित मछली मार्केट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह कार्य राष्ट्रीय मार्तस्यकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा प्रदत्त 2.5 करोड़ रुपये

शहर के मछली कारोबारियों को व्यवस्थित मार्केट की मिलेगी सौगात

की लागत से कराये गए हैं। यहाँ पर बने मार्केट में व्यापारियों को अब एक छत के नीचे बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और व्यापारी स्वभिमान के साथ अपना व्यापार कर सकेंगे। निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि नवनिर्मित मार्केट में 50 दुकानें बनकर आवंटन के लिए तैयार हैं। शहर के मछली व्यापारियों पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर दुकानों का आवंटन किया जायेगा। शहर की स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा गुर्दों क्षेत्र में एक व्यवस्थित मछली मार्केट का निर्माण कराया गया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि शहर की सड़कों के

किसान के सूने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर व नगदी चोरी

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत कृष्णा कालोनी में लगुन में जिया मैरिज गार्डन गए एक किसान के सूने घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवर सहित नगदी 28 हजार रुपए चोरी कर ले गए। पनागर पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा कालोनी निवासी 50 वर्षीय किसान बलराम पटेल गत शाम लगभग 7 बजे अपनी पत्नी केसर पटेल के साथ लगुन कार्यक्रम में जिया मैरिज गार्डन पनागर गए थे। जहाँ से देर रात लगभग 12.30 बजे घर वापस आए तो देखा घर में लगा ताला टूटा था। अलमारी में रखे सोने की झुमकी, 1 अंगूठी, फूल, चांदी की 4 जोड़ी पायल, संतानसाते की 20 चूड़ी, 20 सिक्के, कमर का गुच्छा, 2 जोड़ी बिछिया, करधन और नगदी 28 हजार 500 रूपये अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 331, 305 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

किनारे खुले में मौस, मछली विक्रय करना शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अब यदि कोई व्यापारी सड़क किनारे खुले में मछली का क्रय-विक्रय करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इस लिए निगमायुक्त श्री अहिरवार ने शहर के सभी मछली कारोबारियों से अपील की है कि पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर आकर गुर्दों में नवनिर्मित मछली मार्केट में दुकानों का आवंटन प्राप्त करें और स्वभिमान के साथ व्यापार कर स्वच्छता अभियान में प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह 3 वर्ष के लिए बार से निष्कासित

जबलपुर।

मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह को तीन वर्ष के लिए बार से निष्कासित कर दिया है। यही नहीं दोनों का अधिवक्ता लाइसेंस निरस्त करने एमपी स्टेट बार काउंसिल को पत्र भी भेज दिया गया है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, सह सचिव योगेश सोनी, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल, सह सचिव सौरभभूषण श्रीवास्तव, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा व सचिव ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी के हस्ताक्षर से जारी विज्ञापित में अवगत कराया गया कि यह निर्णय अधिवक्ता संघों की संयुक्त कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। अधिवक्ता सिंह व शाह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बार व

अधिवक्ता विनायक शाह पर भी कार्रवाई, लाइसेंस निरस्त करने एमपी स्टेट बार काउंसिल को भेजा गया पत्र

अधिवक्ताओं के विरुद्ध असत्य आरोप लगाए। न्यायालय व सार्वजनिक मंचों पर भ्रामक वक्तव्य दिए। साथ ही ऐसे कृत्य किए गए जिनसे हाईकोर्ट परिसर में सामाजिक सौहार्द और पेशेवर मर्यादा को गंभीर क्षति पहुंची। पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के बावजूद प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते यह कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया। संघ ने स्पष्ट किया कि वकालत एक अनुशासित और जिम्मेदार पेशा है। कोई भी अधिवक्ता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, वह आचरण नियमों से ऊपर नहीं है। स्टेट बार भेजे गए पत्र में अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय किया गया। जिसके चलते

सिद्धचक्र महामंडल विधान : धर्मसभा में मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज का हुआ प्रवचन

मनुष्य कर्म के फल से तो बचना चाहता है, पर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करता

जबलपुर। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि वह कर्म के फल से तो बचना चाहता है, पर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करता उपरोक्त उद्गार मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज ने श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के छठवें दिवस प्रातःकालीन धर्मसभा में व्यक्त किये मुनि श्री ने चार बातें कर्म का बोध, कर्म का बंध, कर्म का भोग, और कर्म का क्षय की बात करते हुये कहा कि सभी को इस बात का बोध हो जाये कि मेरी आत्मा में रकमर एक ऐसा तत्व है जो मेरी चेतना को परतंत्र बना रहा है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाये? जब हम गहराई से अनुभव करते है, तो हमें कर्म का आभास होता है, हमारे जीवन में जो भी विषमता है उसके मूल में कर्म ही छिपा होता है, मुनि श्री ने कहा कि कर्म का बोध मात्र शास्त्रों के पढ़ने से ही नहीं आता औरों को देखकर सड़क चलते भी हम रकमर रका बोध कर सकते हैं, सड़क चलते हमें अनेक व्यक्ति ऐसे दिखते है जो दिव्यांग, विकृतांग, अनाथ, अपंग बीमार विक्षिप्त और विकृत अवस्था में है, तो उन्हें देखकर कभी आपको ऐसा लगा कि इनकी जगह में होता तो मेरा क्या होता? संसार की विचित्रता को देखकर जो उन्को जड़में झांकेते हैं वे ही कर्म का बोध कर सकते हैं, और जिन्हें कर्म का बोध होता है वही कर्मका क्षय करने में समर्थ हो सकते हैं। मुनि श्री ने कहा कि अपने अपने अंतर्मन में उतर के देखो कि क्या यथार्थ में मुझे मेरे कर्म की सत्ता का बोध है? क्या कर्म मेरे जीवन का नियंत्रक और संचालक है? कर्म मेरी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का निर्धारक है? ऐसा बोध अंतर्मन में जगते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे ही हम अपने मन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से प्रवृत्तियां करते है, उन प्रवृत्तियों के



निमित्त से हमारी चेतना में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उसी निमित्त से हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए जो परमाणु हैं वह हमारी ओर आकर्षित होकर कर्म के रूप में हमारी आत्मा से एकमेक हो जाते हैं। इसका नाम ही कर्म का बंध है। जैसा हमारा भाव, जैसे हमारे विचार, जैसी हमारी प्रवृत्ति, और वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जुड़ते जाते हैं, हम सोचे कि यह कर्म हमारे जीवन में कैसे आ गया? उसे बही तो आया है, जो तुमने किया है। कर्म बंधते समय किसी को नहीं लगता कि मेरे जीवन में भी कुछ है जो बंध रहा है, व्यक्ति कदाचित् अपराध से तो डर जाता है, क्योंकि उसे उसकी सजा दिखती है, लेकिन पाप करने से नहीं डरता क्योंकि उसे पाप का बोध ही नहीं है, उसे लगता ही नहीं कि मैं जो पाप में कर रहा हूँ उसका फल भी मुझे ही मिलेगा। यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने भाव विचार और व्यवहार को अच्छा बनाए संसार के जितने भी संयोग है वे सब कर्म के निमित्त और नैमित्तिक संबंध है। इसमें किसी दूसरे

का कर्तुत्व नहीं होता, हम कोसते हैं इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इस वजह से ऐसा हो गया। उस वजह से वैसा हो गया। हकीकत में वह कोई और नहीं मेरा कर्म ही है उन्होंने महासती अंजना का उदाहरण दिया और कहा कि उसके ऊपर कर्म का उदय आया लेकिन उसने वो कर्म को भोगे नहीं, कर्म को काटा क्या उसने अपने पति या ससुराल वाले को? गाली दी वह निर्दोष थी फिर भी उसे लांछित किया गया लेकिन अंजना ने किसी को दोष नहीं दिया क्योंकि उसे कर्म का बोध था कि इनका क्या कसूर? यह तो मेरे कर्म का ही खेल है, कर्म यदि खेल दिखाना चाहता है तो मैं उसके लिए राजी हूँ, चलो जिधर तुझे ले चलना है मैं चलूंगी। और एक अबला होकर के भी उसने हिम्मत नहीं हारी पेट में तड़व मोक्षगामी कामदेव हनुमान है, ऐसे महापुरुष जिसके पेट में पल रहे है कर्म उसे भी ऐसा खेल खिला देता है। दूसरा होता तो डिप्रेशन में आ जाता और थोड़ा तेज होता तो कोर्ट में पहुंच जाता और थोड़ी कमजोर होता तो फांसी का फंदा लगा के लटक जाती। लेकिन वह अंजना ज्ञानी और पराक्रमी तथा आत्म बोध से संपन्न थी तभी तो रकमर बोरिया बिस्तर बांध के जाने को बाध्य हो गया इस अवसर पर मुनि श्री संधान सागर महाराज सहित समस्त धुल्लक महाराज मंचासीन थे।
प्रवक्ता अविनाश जैन विद्यावाणी और सुबोध कामरेड ने बताया प्रातः 6:30 बजे से सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई मुनि श्री के मुखारविंद से शांति मंत्रों के साथ शांतिधारा संपन्न हुई। विधानाचार्य बाल ब्र. अशोक भैया, बा. ब्र.अभव भैया के निर्देशन में अमित बास्तु, पंडित सुदर्शन शास्त्री, सोनल शास्त्री ने संपन्न कराया संचालन अमित पड़रिया ने किया।

21 कुंडीय सर्वकल्याण महायज्ञ, भजन व प्रवचन 12 से

जबलपुर। महर्षि दयानंद सरस्वती का 202वें जन्मोत्सव एवं महाशिवरात्रि पर्व ऋग्वेद परायण यज्ञ पर आर्य समाज दयानंद भवन डॉ. बरट रोड जबलपुर द्वारा गुरुवार 12 फरवरी से 15 फरवरी तक 21 कुंडीय सर्वकल्याण महायज्ञ, भजन एवं प्रवचन कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम के मुख्य वैदिक प्रवक्ता आचार्य धनंजय शर्मा देहरादून, मुख्य अतिथि डॉ. कैलाश गुप्ता, उद्योगपति व समाजसेवी, यज्ञ के ब्रह्म आचार्य धीरेन्द्र पांडेय आर्य समाज नैपियर टाउन होंगे।

सांटीपनि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में लगा पाँच दिवसीय करियर मेला

शिक्षा, सेवा, मेडिकल व रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का मिला मार्गदर्शन

सिहोरा। सांटीपनि पं. वि. द. शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहोरा, जिला जबलपुर में 27 से 31 जनवरी 2026 तक पाँच दिवसीय करियर मेला का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ 27 जनवरी को विशेष अतिथि सहायक संचालक आर. के. बधान,

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर ने किया। प्रथम दिवस कार्डसलर द्वारा शैक्षणिक संकायों की जानकारी दी गई, वहीं जीसीएफ फेक्ट्री से आए जूनियर ऑफिसर बालाजी ने रक्षा क्षेत्र में करियर पर मार्गदर्शन दिया। सुषमा सिंह करचुली ने कौशल विकास व स्व-विकास पर अनुभव साझा किए। 28 जनवरी को कौशल एवं व्यावसायिक विषयों पर जानकारी दी गई। 29 जनवरी को मेकलसुता एडु स्पेस राइट टाउन से नितिन तिवारी ने सिविल सर्विसेज व

प्रतियोगी परीक्षाओं पर मार्गदर्शन किया। 30 जनवरी को डॉ. आशुतोष उपाध्याय ने मेडिकल करियर पर प्रकाश डाला। 31 जनवरी को समापन सत्र में एसबीआई शाखा प्रबंधक सतीश मिश्रा, बीईओ अरविंद धूवं एवं योगाचार्य योगेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्राचार्य अशोक कुमार उपाध्याय, उपा प्राचार्य शैलेंद्र मिश्रा, करियर कार्डसलर डॉ. मनीष खरे सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

जनेकृविवि में सतत खेती में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर उमरती तकनीकों का शुभारंभ

21 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण से वैज्ञानिकों को मिलेगा नई तकनीकों का व्यावहारिक लाभ



जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में "सतत खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रबंधन हेतु उमरती प्रौद्योगिकियां और नवाचार" विषय पर 21 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा के

मुख्य आतिथ्य एवं संचालक शिक्षण डॉ. अभिषेक शुक्ला की अध्यक्षता में हुआ। कुलपति डॉ. मिश्रा ने प्रशिक्षण को वैज्ञानिकों के लिए मील का पत्थर बताते हुए ड्रोन, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो उर्वरक, बायोचार एवं सूक्ष्मजीव इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि डॉ. जी. के. कौत

ने सटीक कृषि एवं डिजिटल तकनीकों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रांतिकारी बताया, वहीं डॉ. टी. आर. शर्मा ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉ. बी. के. दीक्षित ने स्वागत उद्बोधन की दिया। संचालन डॉ. बी. एस. द्विवेदी तथा आभार डॉ. जी. एस. टैगोर ने व्यक्त किया।

रानी दुर्गावती स्कूल में वार्षिक उत्सव व पत्रिका 'वीरांगना' का विमोचन

जबलपुर। पीएम श्री रानी दुर्गावती शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, गढ़ा में वार्षिक उत्सव एवं शालेय पत्रिका 'वीरांगना' का विमोचन कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक शिक्षण संचालनालय जबलपुर संभाग के उपसंचालक पी. पी. सिंह रहे। विशिष्ट अतिथियों में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, जिला क्रीडा अधिकारी मधुमिता हाजरा, सांटीपनि विद्यालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर की प्राचार्य किरण राव सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं एवं पत्रिका की संपादकीय टीम को सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग नृत्य व ऑपरेशन सिंदूर थीम पर नाट्य प्रस्तुति दी। प्राचार्य डॉ. एस. एन. श्रीवास्वव ने स्वागत भाषण दिया। संचालन मनीष कुमार दुबे ने किया।

नाम सुधार सूचना
मैं पायल पटेल उद्य लक्ष्मण 26 वर्ष पिता श्री दिनेश कुमार पटेल पता : मकान नं 387, महानग मदन महल पाटीदार समाज भवन के पास प्रेम नगर मदन महल, जबलपुर शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ। मेरी जन्म तिथि 14/08/1999 प्रमाणित है। मेरा आधार क्रमांक: 482775679422 है। मेरी दसवी कक्षा की अंकसूची में मेरे पिता का नाम दिनेश पटेल दर्ज है एवं मेरे सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे की मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड इत्यादि में मेरे पिता का नाम दिनेश कुमार पटेल दर्ज है। भविष्य में सभी दस्तावेजों में मैं अपने पिता का नाम दिनेश कुमार पटेल दर्ज करवाना चाहती हूँ एवं उनका यही नाम पढ़ा व लिखा जावे। अतः पिता के नाम परिवर्तन के सत्यापन में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।
BY 338342 शपथकर्ता

नाम सुधार सूचना
मैं रोहित पटेल उद्य लक्ष्मण 23 वर्ष पिता श्री दिनेश कुमार पटेल पता : मकान नं 387, महानग मदन महल पाटीदार समाज भवन के पास प्रेम नगर मदन महल, जबलपुर शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ। मेरी जन्म तिथि 24/05/2002 प्रमाणित है। मेरा आधार क्रमांक: 231397103452 है। मेरी दसवी कक्षा की अंकसूची में मेरे पिता का नाम दिनेश पटेल दर्ज है एवं मेरे सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे की मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड इत्यादि में मेरे पिता का नाम दिनेश कुमार पटेल दर्ज है। भविष्य में सभी दस्तावेजों में मैं अपने पिता का नाम दिनेश कुमार पटेल दर्ज करवाना चाहता हूँ एवं उनका यही नाम पढ़ा व लिखा जावे। अतः पिता के नाम परिवर्तन के सत्यापन में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।
BY 338343 शपथकर्ता

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)
Respondent No. 1 On Merit.
Fixed for 16-03-2026
(अधीनस्थ क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इकतालिस, नियम 14) अपील क्रमांक MA/5396/2007
Process Id: 40940/2026
RAVI PANDEY.....अपीलार्थी
NILOTPAL BANERJEE.....प्रत्यर्थी
सन् 2004 के MACC क्रमांक 3 सन् 2004 में न्यायालय Addl. MACT, Shri K.S. Bhandari, Lakhnadaun District- Seoni (Madhya Pradesh) की डिंडी/आदेश दिनांक 13-08-2007 के विरुद्ध अपील।
प्रति,
Nilotp Banerjee S/o Bhandari N.R. Banerjee R/o-43 A.P.R. Colony, Katanga, Jabalpur, District-Jabalpur, Madhya Pradesh.....प्रत्यर्थी
अपील की सुनवाई का दिनांक- कृपया सूचित करें कि ऊपर उल्लिखित अपील की Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीयित की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 16-03-2026 नियत की गई है। आपत्तियां, प्रति आपत्तियां, यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर फाइनल की जानी चाहिए।
कागजात तथा दस्तावेज फाइनल करने का दिनांक- कृपया इस बात से भी सूचित करें कि आदेश यह भी अपेक्षित है कि आप दिनांक 16-03-2026 को या उससे पहले ऐसे कागजात और दस्तावेजों की, जो आप कागजातों करने का दिनांक की प्रत्येक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करके इस न्यायालय में परिसर करें। सूची में ऐसे कागजात और दस्तावेजों का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं है जिन्हें इस न्यायालय के नियमों के अन्तर्गत शामिल किये जाने की आवश्यकता है। सूची में सूची के प्रत्येक कागजात के विवरण (दिनांक सुभेक दिनांक तथा पृष्ठ संख्या) (1), पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है। यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पक्षितों आदि का उद्घार देते हुए स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें। (2), कागजात की प्रत्येक का पृष्ठ (पृष्ठालय में भरना जारी) (3)। यदि आप कागजात की प्रत्येक में कोई कागजात शामिल नहीं करना चाहते हो, तो यह अपेक्षित है कि आप उक्त दिनांक 16-03-2026 को या उसके पहले एक रिक्त सूची फाइनल करें। आपको अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को ध्यान में रखना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सूची जा सके तो वह उक्तके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपको और से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने लिये विधिवत प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपको अनुरिथित में सूची जायेगी और निर्णय लिया जायेगा। अपील से प्राप्त होने वाले न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में सूची हो गए है और निर्णय के लिए उपलब्ध है। आज दिनांक 02/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की मुहर से दिया गया।
प्रधान सचिव, न्यायिक शाखा

नर्मदा जल पर 60 रुपये का अतिरिक्त बोझ, सिहोरा में मचा सियासी घमासान

परिषद की मंजूरी बिना बढ़ा जलकर, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने जताई आपत्ति

सिहोरा। नगर पालिका परिषद सिहोरा द्वारा नर्मदा जल कनेक्शनधारियों पर प्रतिमाह 60 रुपये अतिरिक्त जलकर लगाए जाने के फैसले ने नगर की राजनीति गरमा दी है। अचानक लागू किए गए इस निर्णय से आम नागरिकों में नाराजगी है वहीं उपाध्यक्ष सहित कई पार्षदों ने इसे नियमविरुद्ध बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। उपाध्यक्ष शारदा तिवारी ने लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि बिना परिषद की स्वीकृति,

औपचारिक चर्चा और विधिवत प्रस्ताव के नल-जल कर को 60 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये करना एकपक्षीय निर्णय है। इससे खासकर मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने बड़ी हुई दर को तत्काल स्थगित कर विषय को परिषद बैठक में रखने की मांग की है। जलकर वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिहोरा के तत्वावधान में आज दोपहर 12 बजे नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन

किया जाएगा।
इनका कहना है
नर्मदा नल-जल योजना 1 जनवरी 2025 से नगरपालिका को हैडओवर हुई है। उसी के तहत 1 फरवरी से 60 रुपये प्रतिमाह लिया जा रहा है। जिन घरों में केवल नदी जल की आपूर्ति है, उनसे पूर्ववत् 60 रुपये ही लिए जाएंगे, जबकि दोनों कनेक्शन होने पर 120 रुपये देय होंगे।
जयश्री चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी

शिव स्मृति भवन गढ़ा में लगी द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी 17 तक चलेगी

जबलपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शिव स्मृति भवन, गढ़ा में द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर-मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने किया। मुख्य अतिथि जबलपुर संस्कारधानी जोन की प्रमुख संचालिका ब्रह्माकुमारी राजयोगिनी भावना बहन रहें।



इस अवसर पर विधिवत पूजन-आरती के साथ ज्योतिर्लिंगों

की भव्य झांकी का शुभारंभ किया गया। बीके भावना बहन ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक चेतना, परोपकार एवं सहयोग की भावना का विकास करना है। गढ़ा सेवा केंद्र की संचालिका बीके मीना बहन ने बताया कि प्रदर्शनी 17 फरवरी तक प्रतिदिन सायं 4 से 9 बजे तक जल-दर्शनाथ खुली रहेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

निधन

श्रीमती रामसखी परोहा- लालमाटी निवासी श्री राम नरेश परोहा की धर्मपत्नी श्रीमती रामसखी परोहा (81) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।
सुश्री रीता सलुजा- रतन कॉलोनी गोरखपुर निवासी श्री खजान चंद सलुजा की पुत्री सुश्री रीता सलुजा (77) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुन्देश्वर मोक्षधाम में किया गया।
श्री रामनाथ सिंह यादव- आशा नगर अंधारताल निवासी श्री रामनाथ सिंह यादव (71) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।
श्री ब्रद्री प्रसाद कुर्मी- ब्यौहाबाग पांडे अस्पताल के पीछे निवासी श्री ब्रद्री प्रसाद कुर्मी (64) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान

भूमि में किया गया।
श्रीमती विजया कोरटकर- आस्था नगर गौरीघाट रोड निवासी श्री दिनकर कोरटकर की धर्मपत्नी श्रीमती विजया कोरटकर (80) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।
श्रीमती कृष्णा बाई गोंटिया- लालमाटी सिद्धबाबा वाई काली मंदिर के पास निवासी श्री हरि लाल गोंटिया की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा बाई गोंटिया (69) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।
श्री हरिशचंद्र जाटव- रामपुर छापर मांडवा निवासी श्री हरिशचंद्र जाटव (75) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।
श्रीमती गीता सिंह ठाकुर- पुलिस लाइन कांचपर टीआईटी बिल्डिंग निवासी श्री आनंद सिंह

ठाकुर की धर्मपत्नी श्रीमती गीता सिंह ठाकुर (68) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।
श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल- नैपियर टाउन निवासी श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल (88) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।
श्री आरके गोपाल नाईकर- हृदयनगर गुन्देश्वर बचई मूर्तिकार वाली गली निवासी श्री आरके गोपाल नाईकर (53) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया।
श्रीमती फूला बाई चौधरी- छिलवा गौरीघाट निवासी श्री डोरी लाल चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती फूला बाई चौधरी (72) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

कार्यालय, सम्मानीय अधिकारी सम्भाग क्रमांक 13 मुख्यालय, नगर निगम, जबलपुर
पत्र क्रं /सभा.अधि./13/मुख्यालय 2025-26/एम्/221
दिनांक:- 04/02/2026
भवन नामांतरण सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पिंकी विश्वकर्मा पति श्री पारसमणी विश्वकर्मा ने मकान नं. 684/1/A-2 1619 वाई स्वामी दयानंद सरस्वती क्षेत्रफल 1619 व.फु., भूतल 1619 व.फु., प्रथम तल 1619 व.फु., द्वितीय तल 527 व.फु., तृतीय तल 527 व.फु. विक्रयपत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-13 मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।
राजस्व निरीक्षक संभाग क्रं. 13 मुख्यालय नगर निगम, जबलपुर

दादा वीरेंद्र पुरी नेत्र चिकित्सालय में हुआ योग अवेयरनेस प्रोग्राम

जबलपुर। सिद्धत्व बड़ी संख्या में मरीज उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आरती ब्लेडन पति श्री विक्टर ब्लेडन ने मकान नं. 1326/ए वाई स्वामी दयानंद सरस्वती भूतल 550 व.फु., प्रथम तल 364 व. फु. शपथपत्र / मृत्यु प्रमाणपत्र / वसीयतनामा / खरसे की नकल के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-13 मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।
राजस्व निरीक्षक संभाग क्रं. 13 मुख्यालय नगर निगम, जबलपुर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि (1) श्री जैनुल हक मंसूरी पिता श्री मोहम्मद यूसुफ (2) श्रीमती रूखसार बानों पति श्री जैनुल हक मंसूरी ने मकान नं. 761/FF-S-118 वाई स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम तल 379 व. फु. विक्रयपत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-13 मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।
राजस्व निरीक्षक संभाग क्रं. 13 मुख्यालय नगर निगम, जबलपुर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि (1) श्री जैनुल हक मंसूरी पिता श्री मोहम्मद यूसुफ (2) श्रीमती रूखसार बानों पति श्री जैनुल हक मंसूरी ने मकान नं. 761/FF-S-118 वाई स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम तल 379 व. फु. विक्रयपत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-13 मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।
राजस्व निरीक्षक संभाग क्रं. 13 मुख्यालय नगर निगम, जबलपुर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमन उपाध्याय पति श्री अशोक कुमार उपाध्याय ने मकान नं. 917/फ्लेन 2, 104 वाई पं. भवानी प्रसाद तिवारी प्रथम तल 610 व. फु. विक्रयपत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-13 मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।
राजस्व निरीक्षक संभाग क्रं. 13 मुख्यालय नगर निगम, जबलपुर

ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई

वाहन चेकिंग के दौरान 6.60 किलोग्राम गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

बालाघाट के ग्रामीण थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 6.60 किलोग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब गांजे की अनुमानित कीमत ढाई लाख रुपये बताई जा रही है।

ग्रामीण थाना प्रभारी अमित अग्रवाल के अनुसार, पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी, जब उन्होंने काले रंग की बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल चालक ने वाहन

पुलिस ने फरार वारंटी को किया गिरफ्तार

छतरपुर। थाना अलीपुरा अंतर्गत वर्ष 2023 के एक प्रकरण में आवेदिका को न्यायालय द्वारा तय की गई राशि एक लाख नब्बे हजार रुपए अदा ना करने एवं अनावेदक के पेशी दिनांक में न्यायालय में पेश ना होने पर न्यायालय द्वारा अनावेदक की गिरफ्तारी हेतु वसूली वारंट जारी किया गया था। पुलिस टीम द्वारा फरार वारंटी अरविंद रैकवार पिता कुपाल रैकवार निवासी पुरानी गल्ला मंडी के पास श्रीनगर जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया।

हनीट्रेप और अवैध उगाही करने गिरफ्तार

मैहर। पुलिस ने इंदरगाम के मायम से दोस्तों कर मारपीट और अवैध उगाही करने वाले एक गिरोह का मंडाफोड़ किया है। आरोपी मानसी उर्फ गोल्डी नामदेव ने फरियादी शिव शंकर गुजा को मिलने के बहाने बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। आरोपियों ने फरियादी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 56,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए।



मोड़कर भागने की कोशिश की। भागने के प्रयास में पीछे बैठा एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर फरार हो गया, जबकि

पुलिस ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल चालक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक बैग में रखा 6.60

किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान कायदी निवासी वेदप्रकाश (34) पिता नेतराम सैनिक के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी से गांजे के साथ मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

पुलिस फरार आरोपी साथी की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तुम्हारे फोन पर पोर्न फिल्म देखी जाती हैं...

सीबीआई अफसर बनकर टीआई को डिजीटल अरेस्ट की कोशिश, मामला दर्ज

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

बालाघाट में साइबर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। एक थाना प्रभारी को सीबीआई अधिकारी बनकर पोर्न फिल्म देखने के नाम पर धमकाकर ठगी का प्रयास किया गया।

गुरुवार को बैर थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले ने इस घटना के बाद साइबर शिकायत नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है।

थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले ने बताया कि उन्हें टू-कॉलर पर 'दोस्त' नाम से एक मोबाइल नंबर से कॉल



आया। कॉलर ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा कि उनके पास शिकायत आई है कि वे फोन पर 'गंदी फिल्म' देखते हैं।

कॉलर ने धमकी दी कि उनके

नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कर चालान किया जाएगा और उन्हें छोटे बच्चों के साथ रेप जैसी गंभीर घटनाओं का कारण बताया।

यह बातचीत लगभग दो मिनट तक चली। थाना प्रभारी मर्सकोले ने बताया कि वह कॉलर से और जानकारी लेना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दोस्त को बताने की बात कही, कॉलर ने फोन काट दिया। इसके तुरंत बाद, मर्सकोले ने साइबर शिकायत नंबर 1930 पर इसकी शिकायत की, जिसके बाद उस मोबाइल नंबर को बंद कर दिया गया है।

बैर थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले ने मोबाइल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ऐसे अनजान कॉल से सतर्क रहें। उन्होंने सलाह दी कि यदि उन्हें ऐसे कोई फोन कॉल आते हैं, तो तत्काल 1930 पर शिकायत करें और पुलिस को सूचित करें।

साइबर नोडल थाना ने सभी मोबाइल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अनजान नंबरों या लिंक पर भरोसा न करें और यदि कोई ऐसी घटना होती है, तो तुरंत साइबर शिकायत नंबर, नोडल थाना या पुलिस को सूचित करें।

बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, भड़के ग्रामीणों ने लगाया जाम



सतना।

कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहना में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया। एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया और वाहन में

तोड़फोड़ की।

हादसे का विवरण

जानकारी के अनुसार, मोहना निवासी सुनील पाल 32 वर्ष और जितेंद्र पाल बाइक पर सवार होकर मुख्य मार्ग से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक बोलेरो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुनील पाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, शराब तस्करी का आरोप

हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उत्तेजित भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि कार चालक धर्मेश सिंह कथित तौर पर शराब की पैकरी (अवैध बिक्री) में लिप्त है। घटना के

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, शराब तस्करी का आरोप

हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उत्तेजित भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि कार चालक धर्मेश सिंह कथित तौर पर शराब की पैकरी (अवैध बिक्री) में लिप्त है। घटना के

समय आरोपी चालक नशे की हालत में था। हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

पुलिस की कार्रवाई और स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल जितेंद्र पाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कोलगवां थाना पुलिस

सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीएसपी देवेन्द्र सिंह चौहान ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।

ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत कराने और यातायात बहाल करने के लिए समझाइश का दौरा जारी रखा है।

युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

हरिभूमि न्यूज।

जिले के घंसीर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिकारा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना बुधवार देर रात हुई। मृतक की पहचान ग्राम कट्टीखमारा निवासी आसाराम पिता अयोध्या प्रसाद मगवी (लगभग 32) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, वह देर रात शिकारा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास घूम रहा था, तभी एक मालगाड़ी के इंजन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि आसाराम मानसिक रूप से अस्वस्थ था। वह लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित था और अक्सर बिना बताए घर से निकल जाता था। आशंका है कि इसी कारण वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया, जिससे यह हादसा हुआ। घटना की सूचना

प्रत्यक्षदर्शियों ने घंसीर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसीर भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक किस परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और यह हादसा दुर्घटनावश हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। घंसीर थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह झरिया ने बताया कि शिकारा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

सगे बेटे पर लाखों की चोरी का आरोप

छतरपुर। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक परिवार के अंदरूनी विवाद का चौकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मां ने अपने सगे बेटे पर घर में चोरी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अश्लीक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बेटे और उसके दोस्तों ने अलमारी तोड़कर नकद राशि व सोने के आभूषण चुरा लिए और फरार हो गए। पुलिस द्वारा एफआईआर व दर्ज करने से व्यथित होकर मां को एसपी कार्यालय तक पहुंचना पड़ा। पीड़िता मां राजकुमारी पत्नी राकेश पटेल, निवासी वार्ड नंबर 18, पंचवटी के सामने पन्ना रोड, थाना सिविल लाइन ने एसपी को बिस् आदेवन में बताया कि 3 फरवरी 2026 की शाम करीब 5:30 बजे वह सब्जी लेने बाजार गई थीं। उस समय घर में उनका पुत्र कृष्ण पटेल और उसके दो दोस्त मौजूद थे। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि कोठरेज अलमारी पीछे से टूटी हुई थी, मुख्य फाटक खुला था और घर से 40 हजार रुपये नकद, सोने की मंगलसूत्र तथा सोने की झुमकी गायब थी। साथ ही बेटा कृष्ण और उसके दोनो साथी भी मौके से फरार हो चुके थे। पीड़िता ने तुरंत सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई।

अमृता हॉस्पिटल में गर्भशय के चक्कर में काट दिया ब्लैडर

महिला ने प्रशासन से लगाई न्याय की गृहार

शहडोल। चिकित्सा जगत को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला पिपरिया स्थित अमृता हॉस्पिटल से सामने आया है। सेवा और समर्पण का ढोंग करने वाले इस अस्पताल की कथित लापरवाही ने एक हंसती-खे ल ती महिला को जीते-जी नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। रमूख और

नतीजा यह हुआ कि ऑपरेशन के बाद से ही पीड़िता को निरंतर पेशाब के रिसाव की नरकीय समस्या झेलनी पड़ रही है। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत की तो डॉक्टर ने हमदर्दी दिखाने के बजाय निर्दयता की सारी हदें पार करते हुए सुधार के नाम पर अतिरिक्त रूपों की डिमांड कर डाली। पीड़िता अब तक अमृता हॉस्पिटल की तिजोरी में 1.5 लाख रुपये झोंक चुकी है। बिलासपुर और नागपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी है कि यह समस्या ऑपरेशन के दौरान लगी कट की वजह से ही हुई है। अब इस जखम को भरने के लिए 5 लाख का अतिरिक्त खर्च और रोजाना

एक हजार रुपये के डायपर का बोझ एक गरीब परिवार के सहे। अपनी बर्बाद जिंदगी का हिसाब मांगने के लिए पीड़िता अब प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट पर सिर पटक रही है। उषा देवी ने लिखित शिकायत देकर डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और इलाज के खर्च की वसूली की मांग की है। सवाल यह है कि क्या शहडोल का स्वास्थ्य विभाग इन सफेदपोश अपराधियों पर नकल कसेगा या एक बेबस महिला की आवाज रसूखदारों के दबाव में दम तोड़ देगी।

बंजारी घाटी के पास अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक

खिन्नी जिले के धूमा थाना क्षेत्र में बंजारी घाटी के पास आज बुधवार सुबह एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा गया। लखनादेन से जबलपुर जा रहा यह तेज रफ्तार ट्रक मोड़ पर पलटा, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ। हादसे में ट्रक चालक सुरक्षित बच गया। जानकारी के अनुसार, ट्रक सुबह लखनादेन से जबलपुर की ओर जा रहा था। बंजारी घाटी के तीखे मोड़ पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गति और मोड़ पर लापरवाही से हादसा घटना की सूचना मिलते ही धूमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ कर हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में तेज गति और मोड़ पर लापरवाही



को दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। धूमा थाना प्रभारी डोगन सिंह ने बताया कि बंजारी घाटी के पास ट्रक पलटने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात सुचारु कराया। उन्होंने यह भी बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे घाटी क्षेत्रों और मोड़ों पर विशेष सतर्कता बरतें। तेज गति और लापरवाही से न केवल चालक बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।

खौलती कढ़ाही में गिरा 3 साल का मासूम, बचाने में मां भी झुलसी



छतरपुर।

एक दिल दहला देने वाली घटना में 3 साल के मासूम बच्चे ने उबलती कढ़ाही में गिरकर गंभीर जलन झेल ली। बच्चे को बचाने की कोशिश में उसकी मां भी बुरी तरह झुलस गईं। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जबकि मां की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश

के महोबा जिले के ग्राम कैमाहा की है। जानकारी के अनुसार बुधवार को धर्मवास कुशवाहा के घर आंगन में चूल्हे पर कढ़ाही में सब्जी बनाई जा रही थी। इसी दौरान उनका इकलौता 3 साल का बेटा मंगल पास में खेल रहा था। खेल-खेल में अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह उबलती सब्जी से भरी कढ़ाही में जा गिरा। हादसा इतना भयावह था कि बच्चा कमर के नीचे से बुरी तरह झुलस गया। बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां रानी कुशवाहा ने तुरंत हाथ

बढ़ाया, लेकिन वह भी गंभीर रूप से जल गईं। उसका बायां हाथ विशेष रूप से प्रभावित हुआ। हादसे के बाद पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में कोहराम छा गया। परिजनों ने आनन-फानन में दोनों को समीपस्थ छतरपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे को जलने की चोटें आई हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर है। मां का इलाज जारी है और वह फिलहाल खतरे से बाहर है।

बागेश्वर धाम में 10 दिवसीय कन्या विवाह महोत्सव का शंखनाद आज से

प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारियों ने धाम समिति के साथ की बैठक कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, सभी व्यवस्थाओं पर हुई बिंदुवार चर्चा



छतरपुर।

करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सप्तम कन्या विवाह महा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 10 दिवसीय इस महोत्सव का शंखनाद शुक्रवार से हो रहा है। गुरुवार को प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सदस्यों व पदाधिकारी की समन्वय बैठक हुई बैठक में आयोजन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विधिवत चर्चा हुई। लाखों लोगों के धाम में आने से लेकर उनके सुरक्षित यहां से निकलने, भोजन, यातायात, सुरक्षा जैसे बिंदुओं पर जानकारी का आदान-प्रदान किया गया। समिति के सदस्यों ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आयोजन स्थल का निरीक्षण

कराया। आयोजन प्रभारी धीरेंद्र गौर ने बताया कि एडीएम मिलिंद नागदेवे और एसपी आदित्य पटले के साथ अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजन को लेकर बैठक हुई। बैठक के माध्यम से सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। बागेश्वर धाम आने वाले लोग सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देने के साथ पुण्य लाभ अर्जित कर सकुशल वापस घर निकल सकें यह सबसे महत्वपूर्ण है। समिति की ओर से आयोजन को गरिमापूर्ण बनाने के पूरे प्रबंध किए गए हैं। एडीएम श्री नागदेवे ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह चौकने रहकर व्यवस्थाएं संभालें, हर परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहे। आने वाले लोगों को कोई परेशानी

न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यातायात और सुरक्षा पर रहेगी पुलिस की नजर एसपी आदित्य पटले ने बताया कि बागेश्वर धाम में 300 बेटियों के कन्या विवाह के अवसर पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पार्किंग आने-जाने के मार्ग, सुरक्षा आदि बिंदुओं पर समिति के साथ बैठक कर चर्चा की गई है। जाम की स्थिति न हो इसलिए ट्रैफिक का प्लान निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले का पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्था में लगाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आवश्यकता अनुसार बाहर से पुलिस बल बुलाया जाएगा।



धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को मिली बड़ी राहत: मुख्यमंत्री

हरिभूमि न्यूज ►► गोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाताओं को समर्थन बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसानों को बगैर बाधा के उनकी उपज का पूरा मूल्य, समय पर मिले।

डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सीजन 2025-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन हुआ। उपार्जन के आंकड़े नीतियों की सफलता दर्शाते हैं।

51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित, किसानों से उपार्जित धान का समय पर भुगतान भी हुआ सुनिश्चित

प्रदेश में 8 लाख 59 हजार 822 धान उत्पादक किसानों का पंजीयन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सत्र में प्रदेश में 8 लाख 59 हजार 822 धान उत्पादक किसानों का पंजीयन किया गया था। इनमें से 7 लाख 89 हजार 757 किसानों (करीब 92 प्रतिशत) ने स्लॉट बुक कर धान उपार्जन प्रक्रिया में भाग लिया। इन किसानों में से 7 लाख 62 हजार 620 किसान (89 प्रतिशत) धान विक्रेता के रूप में उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। इस वर्ष धान उपार्जन के लिए प्रदेश में 1,436 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के जरिए इस सीजन में 51 लाख 74 हजार 792 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। उपार्जित धान में से 48 लाख 38 हजार 637 मीट्रिक टन से अधिक धान का परिवहन भी पूरा कर लिया गया है। परिवहन किए गए धान में से 46 लाख 30 हजार 21 मीट्रिक टन धान गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।



तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली लागू

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारु और किसान-हितैषी बनाया गया है। इसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि खरीफ सीजन में धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो पिछले सत्र के एमएसपी से 69 रुपये अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई यह वृद्धि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार का ठोस प्रयास है। पिछले खरीफ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। गत सत्र में तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 लाख 69 हजार 272 धान उत्पादक किसानों से कुल 43 लाख 52 हजार 905 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया।

किसानों को 11 हजार करोड़ रु. हुए ट्रांसफर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस सीजन में उपार्जित धान के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 12 हजार 259 करोड़ रुपये आंकलित किया गया। इस आंकलित मूल्य में से करीब 11 हजार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन मूल्य से किसानों को आर्थिक संबल मिला है और वे अगली फसल से जुड़े कार्यों की तैयारी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धान उपार्जन की संपूर्ण प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें धान की योग्यताओं का पूरा लाभ भी समय पर प्राप्त हो सके।

स्वर्ण संक्षेप

कैंसर सुरक्षा का प्रभावी कवच जागरूकता

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व कैंसर दिवस पर कहा है कि कैंसर से सुरक्षा का सबसे प्रभावी कवच जागरूकता, समय पर जांच और उपचार है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवन का आधार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और इस गंभीर बीमारी तथा उससे बचाव के उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है।

अफसर व कर्मचारी न छोड़ें जिला मुख्यालय

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है। विधानसभा सचिवालय द्वारा सत्र के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 फरवरी से प्रारंभ होगा। बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा में प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसको देखते हुए एमपी में अधिकारियों-कर्मचारियों को हर हाल में मुख्यालय पर ही रहने के लिए सरकार सख्ती दिखा रही है। बिना मंजूरी के मुख्यालय छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए इस संबंध में एक और आदेश जारी किया गया है। इसमें खासतौर पर अधिकारियों के किसी भी हाल में मुख्यालय छोड़ने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। प्रदेश भर के कलेक्टर ने अपने जिलों में इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय छोड़ने के लिए अधिकारियों को अनिवार्य किया गया है। लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

राजधानी आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली संगठनात्मक बैठक

केंद्रीय बजट और वीबी जी रामजी योजना का मंडल, विधानसभा स्तर तक हो प्रचार-प्रसार

हरिभूमि न्यूज ►► गोपाल

मध्यप्रदेश भाजपा संगठन में हाल ही में बड़े बदलाव के बाद संगठन के केंद्रीय नेतृत्व का फोकस प्रदेश में बढ़ गया है। इसी बीच बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल प्रवास पर आए हैं। भोपाल पहुंचे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की अगुआई में भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने की। इसके बाद प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में संगठनात्मक बैठक हुई। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। बीएल संतोष ने इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट के प्रचार-प्रसार और वीबी जी रामजी योजना के प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मंडल और विधानसभा स्तर पर जाकर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने का काम किया जाए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह के साथ ही प्रदेश पदाधिकारी राहुल कोठारी प्रदेश महामंत्री, सुरेंद्र शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, श्याम महाजन प्रदेश कार्यालय मंत्री सहित अन्य मौजूद रहे।

- 1 दिल्ली से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन प्रदेशाध्यक्ष हेमंत ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए
- 2 कांग्रेस के फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए निर्देश



बीएल संतोष ने हितानंद शर्मा की माताजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बुधवार को भोपाल के मिर्जा अस्पताल पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हितानंद शर्मा की माताजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।



केंद्रीय बजट पर बनी रंगोली की तारीफ की बैठक के पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा बनाई रंगोली की सराहना की। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर रावत एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा एवं नंदिता पाठक उपस्थित रही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की सौजन्य भेंट



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से संसद भवन में बुधवार को सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मध्यप्रदेश में रेल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में संचालित एवं प्रगतिरत रेलवे परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से मध्यप्रदेश के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री सिंह से की मुलाकात



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से उद्योग भवन में मुलाकात की। भेंट में विभाग से जुड़े केंद्र में लंबित मुद्दों पर चर्चा की और शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर सचिव केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय नीलम शर्मा राव सहित मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

पुलिस विभाग के समक्ष किया आत्मसमर्पण साउथ सब जोनल ब्यूरो के 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर



हरिभूमि न्यूज ►► बीजापुर

जिले में कुल 46 लाख रुपये के इनामी 12 नक्सलियों ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इनमें आठ महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी माओवादी संगठन के साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े थे। इन्होंने बस्तर पुलिस की पूना मजमें (पुनर्वास से सामाजिक पुनर्स्थापन) पहल के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इनमें सोमूढ़ मड़काम (42) डिविजनल कमेटी मंत्री और कटेकल्याण परिया कमेटी प्रभारी, हुंगी कुंजाम (19) और पायकी कुंजाम (22) शामिल हैं, जो अलग अलग यूनिट के पार्टी मेंबर थे। इन तीनों पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसके अलावा तीन अन्य नक्सलियों पर पांच-पांच लाख रुपये, एक पर दो लाख रुपये और पांच पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने एक एक 47 रायफल, दो सेल्फ लोडिंग रायफल (एसएलआर), 250 जिलेटिन स्टिक, 400 डेटोनेटर, बारूद से भरा एक प्लास्टिक ड्रम और कॉर्डेक्स वायर का एक बंडल भी पुलिस को सौंपा। अधिकारी ने बताया कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को तत्काल 5-50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी और सरकार की नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा।

कोरबा के मानिकपुर चौक क्षेत्र का मामला 170 फिट गहरी खदान में गिरने से मजदूर की मौत

हरिभूमि न्यूज ►► कोरबा

कुमार मरावी बुधवार दोपहर कोयला चोरी करने खदान गया था। इसी दौरान कोयला निकालते समय वह लगभग 170 फीट नीचे सिर के बल गिर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में जुट गए। गुरुवार सुबह जब ग्रामीण उसे खोजते हुए खदान पहुंचे, तब उसका शव पड़ा मिला।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए नियम किए लागू

भाजपा में आजीवन सहयोग निधि में सख्ती: 20 हजार रुपए से अधिक पर पैन कार्ड अनिवार्य, 5 हजार रुपए से अधिक नकद भी स्वीकार नहीं होंगे

हरिभूमि न्यूज ►► गोपाल

भारतीय जनता पार्टी ने आजीवन सहयोग निधि अभियान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब 20 हजार रुपये से अधिक की सहयोग राशि देने वाले दानदाताओं से पैन कार्ड लेना अनिवार्य होगा, जबकि 5 हजार रुपये से अधिक की राशि नकद स्वीकार नहीं की जाएगी। पांच हजार से ऊपर की राशि केवल चेक या बैंकिंग माध्यम से ही ली जाएगी। प्रदेश भाजपा का यह आजीवन सहयोग निधि अभियान 11 फरवरी से शुरू होकर करीब दो महीने तक चलेगा। अभियान को पूरी तरह टारगेट आधारित बनाया गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले को अलग-अलग राशि जुटाने का लक्ष्य दिया जाएगा, जिसे जिले के संगठनात्मक ढांचे, गतिविधियों और सालाना खर्च के अनुमान के आधार पर तय किया जाएगा। जिन जिलों में संगठन बड़ा और गतिविधियां अधिक हैं, वहां लक्ष्य भी उसी अनुपात में ज्यादा रखा जाएगा। अभियान के संचालन के लिए जिलों में जिला प्रभारी और जिला सह-प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है। राज्य स्तर पर भी प्रभारी और सह-प्रभारी बनाए गए हैं। प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी पूरे विधायक गोपी कृष्ण नेमा को सौंपी गई है, जबकि पूर्व सांसद आलोक संजय और सतना के महापौर योगेश ताम्रकार को सह-प्रभारी बनाया गया है।

ब्लाडर को खोलते वक्त प्रेशर से दो नट अपने आप खुले मची अफरा-ताफरी

हरिभूमि न्यूज ►► रायगढ़

जिले में गुरुवार सुबह मंगल कार्बन प्लांट में टायर गलाने के दौरान ब्लास्ट हो गया। इस घटना में एक मासूम सहित आठ मजदूर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। खरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बानीपाथर गांव में स्थित मंगल कार्बन प्लांट में

रायगढ़ में टायर गलाने के दौरान जबरदस्त विस्फोट, एक मासूम सहित आठ घायल



टायर गलाने के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इस दौरान वहां काम कर रहे डेढ़ साल की मासूम भूमि खडिया, इंद्रजीत, प्रिया सारथी, साहेब्राम खडिया, कोशल कुमार, शिव खडिया, उदासीन खडिया, इंद्रवद सहित कई अन्य मजदूर झुलस गए। मंगल कार्बन प्लांट में काम कर रहे मजदूरों द्वारा टायर गलाने वाले ब्लाडर को खोलते वक्त प्रेशर से दो नट अपने आप खुलते ही ब्लास्ट हो गया।

माओवादी संगठन तेजी से बढ़ रहा अंत की ओर

पांच हजार से अधिक राशि चेक या बैंक माध्यम से ही ली जाएगी

दान करने वाले को रसीद देना होगा अनिवार्य, लेखा-जोखा का रिकॉर्ड रखेंगे

सहयोग राशि एकत्र करने जिलों में प्रभारी, सह-प्रभारी और सदस्यों की टीम बनाई